न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 98/2021 बउनवानी श्रीमति सपना मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम चांदनोली, पोस्ट खिरनी तह0 मलारना डूँगर

GCMS No-2021/292

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ सलाहकार राज्य लोक सूचना अधिकारी मंत्रिमण्डल सचिवालय जयपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो जिला कलेक्टर को प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर के पत्रांक सूकाअ/21/1652दिनांक 28.9.2021 से प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. ग्राम चांदनोली के सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने बाबत दिनांक 29.6.2021 को सपना मीना सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ई—मेल/वाटसेप से उपजिला कलेक्टर कार्यालय मलारना डूँगर को अवगत कराया गया है उस पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। 2. सपना मीना के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.2021 को थानाधिकारी बौंली द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूँगर मे पेश किये गये इस्तगासे की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि। 3. संलग्न पत्र पर दैनिक भास्कर सवाईमाधोपुर 21.6.2021 की खबर पर संज्ञान न लेकर अपराधी को बचाया गया है तो सम्पूर्ण दोषी अधिकारी उपजिला कलेक्टर कार्यालय मलारना डूँगर पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/सूकाअ/2021/2950 दिनांक 02.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2021 के बिन्दु संख्या 1 लागयत 3 की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2682 दिनांक 21.10.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.9.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना जरिये पत्रांक 2682 दिनांक 12.10.2021 से अपीलान्ट को भिजवाया जाना बताया गया है, किन्तु जवाब के साथ संलग्न सूचना की प्रति का अवलोकन किये जाने पर बिन्दु संख्या 2 पर चाही गयी इस्तगासे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.6.2021 के क्रम में यदि थानाधिकारी बौली द्वारा इस्तगासा पेश किया गया हो तो अपीलान्ट को उसकी प्रमाणित सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करवायी जाने हेतु उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है। इसी प्रकार दैनिक भास्कर सवाईमाधोपुर मे दिनांक 21.6.2021 को प्रकाशित समाचार "चांदनोली मार्ग को बजरी ईंटें डालकर किया अवरूद्ध" पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना भी अपीलान्ट को उपलब्ध नही क[illegible] है। अतः उक्त सूचना भी अपीलान्ट को 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। शेष [illegible] सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। उक्त निर्देश के साथ [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] अभिलेख की जावे। आ[illegible] न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:00:43 IST
Reason: SelfAttested